भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 402

01 दिसंबर, 2015 को उत्तरार्थ

विषय: दालों का उत्पादन

402. डॉ. जे. जयवर्धन	**डॉ. मनोज राजोरियाः**
श्री मलयाद्रि श्रीरामः	**श्रीमती मीनाक्षी लेखीः**
श्री जी. हरिः	**श्री एंटो एन्टोनीः**
श्री सी. गोपालकृष्णनः	**श्री पी.सी. मोहनः**
श्री शरद त्रिपाठीः	**श्री दुष्यंत चैटालाः**
श्री भोलासिंहः	**श्री देवजी एम. पटेलः**
श्री सी.एस. पुट्टा राजूः	

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दलहनों और तिलहनों के उत्पादन का राज्य और किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाजार में दालों की भारी कमी हो गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा बाजार में दालों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/मिशनों के अंतर्गत दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आबंटित, निर्गत और उपयोग की गई निधियों का राज्य और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की सहायता से क्या नीति तैयार की गई है; और

(ङ) क्या दालों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए राज्यों द्वारा मूल्य स्थिरीकरण निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) विगत दो वर्षों एवं मौजूदा वर्ष अर्थात 2013-14 से 2015-16 के दौरान देश में मुख्य दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन के राज्य-वार एवं किस्मवार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए है।

(ख) वर्षा सिंचित परिस्थितियों के तहत् सीमांत भूमि पर दलहनों की खेती, कीटों एवं रोगो के जोखिम के कारण कम क्षेत्रीय कवरेज, अन्य सक्षम फसलों आदि की उच्चतर लाभप्रदता आदि के कारण, देश में दलहनों का उत्पादन एवं उत्पादकता कम हुई है। इसके परिणामस्वरूप दलहनों के उत्पादन एवं उसकी आवश्यकता/मांग के बीच अंतर हुआ है, जिसकी पूर्ति आयातों के माध्यम से की जाती है। 2013-14 के दौरान दलहनों के आयातों के ब्यौरे इस प्रकार है।

वर्ष	आयात की गई दलहनों की मात्रा (लाख टन)
2013-14	31.77
2014-15	45.84
2015-16 (अप्रैल-सितम्बर)	22.54

देश में दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके उसकी कमी की पूर्ति करने तथा स्वायतता प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार 2007-08 से राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(एनएफएसएम)-दलहन को क्रियान्वित कर रही है। इस समय, दलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अम्ब्रेला योजना के तहत् 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है। 2014-15 से, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के सभी जिलों सहित 27 राज्यों 622 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा, 2010-11 से पूर्वी राज्यों अर्थात् असम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में “पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई)” नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है। दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चावल परती क्षेत्रों को लक्षित करने हेतु फसलीय पद्धती आधारित दृष्टिकोण के तहत् प्रदर्शनों के रूप में 2015-16 से बीजीआरईआई के तहत् दलहनों को भी शामिल किया गया है।

(ग) देश में दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मुख्य योजनाओं के तहत् निधियों के आवंटन एवं उसे जारी करने संबंधी राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-।।** में दिए गए है।

(घ) दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा देश को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद(आईसीएआर) ने पांच जिन्स आधारित अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न तिलहनों एवं दलहनों में अनुसंधान कार्यक्रमों को सम्पन्न किया है। इन अनुसंधान कार्यक्रमों में विभिन्न दलहनों एवं तिलहन बीज फसलों में फसल सुधार एवं उत्पादन प्रौद्योगिकीयों से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान शामिल है। इस प्रकार विकसित उपलब्धि की मान्यता उन दस फसल विशिष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) द्वारा संबंधित कृषि जैविकीय विज्ञानों में दी जाती है। जो अधिकांश्त: तिलहनों एवं दलहनों की स्थान विशिष्ट किस्मों/हाईब्रिड़ों तथा उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकीयों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में स्थित है ताकि उनके उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

इसके अलावा, देश में तिलहनों एवं दलहनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को “भारत में तिलहनों एवं दलहनों के स्वदेशी

उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी नीति (स्वायतता प्राप्त करने की दिशा में एक मिशन)" नामक एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में तीन दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है: नामत:, ' उत्पादकता में वृद्धि', 'क्षेत्रीय विस्तार' तथा 'फसल अवधि को कम करना"। अक्टूबर 2015 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से दलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए दलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करके, बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार लाकर, आर्कषक न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि को प्रदान करके दलहनों में स्वायतता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सघन कार्य योजना प्रस्तुत की है।

(ड.) दलहनों के मूल्यों में वृद्धि करने पर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) के माध्यम से 5000 मिट्रिक टन तूर दाल संबंधी दलहनों को आयात करने के लिए मूल्य स्थायीकरण नीधि (पीएसएफ) का उपयोग किया गया है जिसे कम दरों पर राज्यों को जारी किया गया है। कुछ राज्यों ने दलहनों सहित कृषि जिन्सों पर बाजार हस्तक्षेप संचालनों का कार्य करने के लिए मूल्य स्थायीकरण नीधि से भी अनुरोध किया है।

अनुबंध-I

दिनांक 01.12.2015 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 402 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

2013-14 से 2015-16 के दौरान दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन का राज्य-वार एवं फसलवार ब्यौरा

दलहन उत्पादन ('000 टन)

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	तूर			चना		अन्य दलहन			कुल दलहन		
	2013-14	2014-15*	2015-16$	2013-14	2014-15*	2013-14	2014-15*	2015-16$	2013-14	2014-15*	2015-16$
आन्ध्र प्रदेश	243.0	183.0	144.0	843.0	461.0	465.0	511.9	51.0	1551.0	1155.9	234.0
असम	5.6	5.0	5.0	1.4		97.2	106.7	28.0	104.3	111.7	33.0
बिहार	36.5	32.6	44.9	70.3	60.8	415.2	326.9	36.0	522.0	420.3	68.6
छत्तीसगढ़	31.2	33.8	44.6	213.2	290.4	237.7	330.5	57.1	482.1	654.7	90.9
गुजरात	209.0	258.0	264.0	309.0	192.0	211.0	131.0	115.0	729.0	581.0	373.0
हरियाणा	11.0	6.5	12.0	75.0	44.0	39.1	9.0	11.5	125.1	59.5	18.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	41.4	9.8	51.0	41.9	9.8
जम्मू एवं कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	7.9	6.8	13.8	7.9	6.8
झारखण्ड	205.2	199.5	191.9	181.7	186.4	191.7	211.2	108.8	578.6	597.1	308.3
कर्नाटक	587.5	479.0	285.0	716.0	769.0	297.0	240.0	-59.0	1600.5	1488.0	420.0
केरल	0.8	0.5	0.0	0.4	0.5	1.6	0.4	-0.5	2.8	1.4	0.0
मध्य प्रदेश	332.0	511.0	568.0	3299.1	2964.0	1013.2	1229.8	625.0	4644.3	4704.8	1136.0
महाराष्ट्र	1034.0	664.5	533.2	1622.0	829.0	513.0	244.0	45.9	3169.0	1737.5	710.4
उड़ीसा	124.4	123.8	194.8	36.2	36.6	258.6	279.8	212.0	419.3	440.2	335.8
पंजाब	2.6	2.4	4.6	2.3	3.0	34.7	67.5	9.1	39.6	72.9	11.5
राजस्थान	9.4	9.7	10.8	1640.4	910.4	841.1	1030.3	986.7	2490.9	1950.4	996.4
तमिलनाडु	57.7	82.8	42.5	5.8	4.1	550.3	560.3	21.3	613.8	647.2	104.1
उत्तर प्रदेश	271.0	174.0	250.0	475.4	381.2	951.0	892.0	421.0	1697.4	1447.2	595.0
उत्तराखण्ड	2.7	3.0	4.0	0.7	0.7	53.1	49.0	38.0	56.5	52.7	41.0
पश्चिम बंगाल	2.1	2.7	0.0	29.3	32.0	210.3	140.9	45.3	241.7	175.6	47.9
अन्य	8.7	7.5	7.1	4.5	4.2	106.9	831.5	15.1	120.0	843.2	22.5
अखिल भारत	3174.4	2779.2	2606.4	9526.3	7169.8	6552.2	7242.0	2783.8	19252.9	17191.0	5563.0

* 2014-15 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार $ 2015-16 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार

अनुबंध-I

तिलहन उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मूंगफली			सोयाबीन			रेपसीड एवं सरसों		अन्य तिलहन बीज			कुल तिलहन बीज		
	2013-14	2014-15*	2015-16$	2013-14	2014-15*	2015-16$	2013-14	2014-15*	2013-14	2014-15*	2015-16$	2013-14	2014-15*	2015-16$
आन्ध्र प्रदेश	1236.0	793.0	487.2	395.0	264.0	187.0	3.0	4.0	251.6	159.0	72.7	1885.6	1220.0	746.8
असम							169.0	170.0	17.4	16.5	13.0	186.3	186.5	13.0
बिहार	0.9	0.9	1.0				106.1	92.4	39.1	38.1	6.3	146.2	131.4	7.3
छत्तीसगढ़	37.3	36.3	36.4	93.5	79.7	80.9	26.2	26.4	28.4	30.5	16.7	185.4	172.9	134.0
गुजरात	4917.6	2223.5	2205.0	44.0	56.2	68.0	486.0	306.0	1422.9	1398.0	1676.4	6870.4	3983.7	3949.4
हरियाणा	6.2	4.2	3.7				880.0	699.0	12.8	20.1	3.9	899.0	723.3	7.6
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.0	0.9	1.2	0.9	4.3	5.7	0.9	1.3	1.2	6.1	8.3	2.1
जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.0					56.4	42.3	2.3	2.0	1.9	58.8	44.3	1.9
झारखण्ड	26.9	24.8	23.5	0.6	0.8	0.1	136.3	126.0	19.1	23.0	7.1	182.9	174.6	30.7
कर्नाटक	565.0	563.0	221.1	270.0	226.0	189.0	1.0	1.0	326.0	262.0	68.0	1162.0	1052.0	478.1
केरल	0.9	0.7	0.5						0.1	0.1	0.0	1.0	0.8	0.5
मध्य प्रदेश	324.2	370.0	380.0	5242.4	6353.0	6612.5	844.3	717.3	223.9	284.0	230.0	6634.9	7724.3	7222.5
महाराष्ट्र	393.0	254.5	167.0	4754.9	2490.4	3190.0	4.0	2.0	142.0	86.3	18.8	5293.9	2833.2	3375.8
उड़ीसा	86.8	66.8	28.0	0.2	0.7		3.6	2.5	78.2	76.6	56.5	168.8	146.5	84.5
पंजाब	2.4	2.6	4.9				41.8	38.0	20.0	16.9	38.5	64.2	57.5	43.4
राजस्थान	900.9	1015.7	899.7	974.7	956.7	1390.8	3797.1	2895.2	361.0	451.0	428.5	6033.8	5318.6	2718.9
तमिलनाडु	915.9	904.7	543.9	0.0			0.1	0.1	48.2	56.3	30.2	964.2	961.1	574.2
उत्तर प्रदेश	86.0	84.0	93.0	15.0	38.0	54.0	736.8	582.4	58.0	83.0	98.0	895.8	787.4	245.0
उत्तराखण्ड	1.2	1.0	1.0	22.1	16.0	21.0	10.3	11.0	0.5	0.5	1.0	34.1	28.5	23.0
पश्चिम बंगाल	200.5	200.4	2.9	0.4	0.4	0.5	478.1	490.0	230.9	239.6	178.7	909.9	930.4	182.0
अन्य	12.2	10.8	8.1	47.2	44.6	36.8	92.2	98.0	14.6	36.4	3.3	166.2	189.8	48.2
अखिल भारत	9713.9	6557.0	5106.8	11860.8	10527.7	11831.5	7876.7	6309.3	3298.0	3281.1	2950.7	32749.4	26675.1	19889.0

* 2014-15 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार $ 2015-16 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार

अनुबंध-II

दिनांक 01.12.2015 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 402 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

एनएफएसएम 2012-13 से 2015-16 तक एनएफएसएम दलहन के तहत् आवंटित,जारी निधियों एवं राज्यों द्वारा व्यय की गई राशि

रू. करोड़ में

क्र.सं.	राज्य	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16*		
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
1	आन्ध्र प्रदेश	116.31	109.84	85.84	142.82	110.62	60.17	89.78	46.27	76.37	33.07	20.28	0.00
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.71	0.71	3.72	2.86	0.00
3	असम	10.91	4.30	7.57	46.55	40.61	44.29	20.52	15.58	18.32	32.92	21.46	0.00
4	बिहार	31.62	13.54	16.46	29.46	12.58	20.15	30.53	18.47	11.23	30.70	18.35	0.00
5	छत्तीसगढ़	36.78	22.12	25.77	46.47	38.24	30.08	42.53	21.26	21.62	29.64	18.96	0.00
6	गुजरात	45.52	46.02	32.33	53.30	29.14	25.45	19.57	0.00	6.62	8.40	4.20	0.00
7	हरियाणा	30.66	24.24	17.00	41.49	24.91	22.80	15.38	9.19	13.39	6.11	4.05	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.96	0.73	0.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.58	0.18	2.11	1.30	0.00
10	झारखण्ड	25.59	18.93	16.62	33.56	25.37	27.51	25.13	13.81	17.47	20.83	11.91	5.01
11	कर्नाटक	110.97	106.31	100.06	132.75	117.88	101.34	121.45	89.58	74.67	64.05	35.27	0.00
12	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	189.46	173.86	264.64	311.77	305.08	276.49	236.14	150.38	142.53	169.38	113.44	0.00
14	महाराष्ट्र	198.42	197.73	174.41	250.02	225.68	176.62	266.36	124.54	223.18	92.22	46.11	1.90
15	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.18	1.18	5.80	4.40	1.40
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.65	0.90	0.45	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	1.11	1.43	0.96	0.00
18	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	8.66	5.33	0.00
19	ओडिशा	32.86	23.88	26.49	43.62	32.80	35.01	35.61	28.46	26.77	25.23	14.87	0.17
20	पंजाब	16.04	7.94	8.73	17.43	11.63	15.81	6.08	2.21	1.68	2.30	1.40	0.00
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	2.90	1.70	0.00
22	राजस्थान	121.36	107.58	95.72	181.97	107.47	123.43	172.42	145.18	115.40	139.50	83.25	0.00
23	तमिलनाडु	29.43	20.60	17.06	43.09	18.15	27.76	39.86	37.92	35.44	18.17	10.62	6.12

24	**तेलंगाना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.89	33.86	43.17	28.95	17.71	0.00
25	**त्रिपुरा**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	3.19	2.39	2.83	2.17	0.00
26	**उत्तर प्रदेश**	124.96	64.84	66.42	201.04	131.15	109.46	104.53	49.91	66.02	74.67	47.34	0.00
27	**उत्तराखण्ड**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.74	0.00	2.66	1.58	0.00
28	**पश्चिम बंगाल**	14.37	9.30	9.60	28.31	11.52	15.10	19.73	20.16	18.57	7.86	5.02	0.00
	कुल	**1135.26**	**951.03**	**964.72**	**1603.65**	**1242.83**	**1111.47**	**1309.77**	**818.66**	**922.36**	**815.97**	**495.72**	**14.60**

* 23 नवंबर,2015 के अनुसार

अनुबंध-II-जारी

2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आइसोपाम और 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एनएमओओपी के संबंध में आवंटित एवं जारी राज्य-वार एवं वर्ष-वार निधियों का ब्यौरा

(लाख रूपए में)

		आईसोपाम						एनएमओओपी				
क्र.सं.	राज्यों के नाम	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16	
		आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी*
	राज्य एमएच- (3601)											
1	आन्ध्र प्रदेश	1793.33	1793.33	3881.95	8594.01	8594.01	4567.00	5136.00	1798.00	5138.94	5264.78	2654.33
2	बिहार	919.23	919.23	985.39	0.00	0.00	234.91	231.00	154.29	106.56	239.50	169.75
3	छत्तीसगढ़	755.46	755.46	1111.63	1024.52	1024.52	814.00	534.16	319.50	171.90	637.72	318.86
4	गुजरात	517.96	517.96	1868.31	2753.55	2753.50	3188.26	3665.00	1401.14	950.50	1648.26	646.94
5	हरियाणा	434.60	434.60	688.47	363.00	363.00	432.36	692.00	242.00	185.65	1023.66	831.47
6	हिमाचल प्रदेश	65.25	65.25	67.22	45.00	45.00	45.08	0.00	0.00		0.00	0.00
7	जम्मू एवं कश्मीर	41.95	41.95	143.83	158.30	158.30	159.51	134.96	101.22	30.60	157.91	0.00
8	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	118.77	0.00	438.81	0.00
9	कर्नाटक	1481.00	1481.00	4043.62	2313.40	2313.40	2286.96	2245.00	2021.85	1691.22	2156.85	1335.81
10	केरल	0.00	0.00	19.67	0.00	0.00	31.78	69.00	41.41	6.53	21.13	0.00
11	मध्य प्रदेश	5690.65	5690.65	5682.67	4076.26	4076.26	4067.40	7507.00	4505.78	2577.32	4339.43	2614.64
12	महाराष्ट्र	3669.88	3669.88	3174.43	3132.21	3132.21	3297.00	4544.00	3408.10	3393.38	2434.83	1217.41
13	उड़ीसा	1068.43	1068.43	1830.52	1450.00	1449.50	1189.59	1581.53	925.61	916.33	785.28	442.64
14	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	40.00	32.58	49.90	0.00
15	राजस्थान	3688.64	3688.64	3737.13	4018.36	4018.35	3493.04	5085.00	4784.86	2508.13	4912.19	3491.10
16	तमिलनाडु	821.94	821.94	1389.72	1206.45	1206.45	1022.81	1059.00	842.58	714.22	888.11	582.86
17	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1091.00	619.07	1515.63	981.31	590.65
18	उत्तर प्रदेश	666.41	666.41	964.96	1008.00	1008.00	554.63	1400.00	1172.85	776.10	1938.39	1319.20
19	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.25	70.18
20	पश्चिम बंगाल	664.96	664.96	499.05	334.20	334.20	526.32	958.12	602.97	602.97	1269.70	984.85
A	**कुल (3601)**	**22279.69**	**22279.69**	**30088.58**	**30477.26**	**30476.70**	**25910.65**	**36285.77**	**23099.99**	**21318.56**	**29277.98**	**17270.67**
	एनईआरएमएच- (2552)											
21	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.01	204.01	204.01	361.07	218.09

22	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1771.92	885.95	885.95	1624.10	886.53
23	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.64	198.48	198.48	133.20	66.60
24	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.86	62.93	62.93	0.00	0.00
25	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	146.25	146.25	146.25	891.14	668.36	668.36	1271.47	507.33
26	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.63	454.64	454.64	240.72	120.36
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	69.02	69.02	60.24	30.12
28	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.44	512.44	512.44	403.05	261.57
B	**कुल (2552)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146.25**	**146.25**	**146.25**	**4497.66**	**3055.83**	**3055.83**	**4093.83**	**2090.59**
	कुल (ए+बी)	**22279.69**	**22279.69**	**30088.58**	**30623.51**	**30622.95**	**26056.90**	**40783.43**	**26155.83**	**24374.39**	**33371.81**	**19361.26**

* 23 नवंबर,2015 के अनुसार